24/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस प्रा० पत्र हेतु अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाकर आदेश दिनांक 14/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

14/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० एकपक्षीय बहस पिछली तारीख पर सुनी जा चुकी थी दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नं० 752, 754, 755 प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों की खातेदारी भूमि है जिसमें से 1/24 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 6.8.2010 को अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पक्ष में करवा लिया। अब उस विक्रय पत्र की आड़ में अप्रार्थी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करके उनका रास्ता बंद करने पर आमादा है इसलिए न्यायालय हजा ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 7/10/10 द्वारा अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाने हेतु पाबन्द किया है। चूंकि उक्त आदेश के बाद अप्रार्थी ने कोई जवाब/खण्डन न्यायालय में पेश नहीं किया है अतः न्यायालय हाजा के आदेश को कन्फर्म किया जावे।

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने एक मूलवाद घोषणा एवं विभाजन का पेश किया है, जिसके साथ उक्त अस्थाई

(हस्ताक्षर) P.T.O.

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नहीं देने तथा रास्ते में रूकावट पैदा नहीं करने तथा रास्ते की भूमि का नामांतरण नहीं करने हेतु पाबन्द करवाने हेतु पेश किया है। चूंकि प्रार्थी ने घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 7/10/2010 जारी किया है। चूंकि उक्त आदेश जारी होने के बाद मूलवाद में एवं इस पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब / खंडन पेश नहीं हुआ है। अतः अंतरिम आदेश को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है। **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं इस पत्रावली के अंतरिम आदेश दिनांक 07/10/2010 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा नं. 742, 744, 745 वाके ग्राम कोलसिया के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय आज दिनांक 27/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर 27/06/24 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़	